

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/ 6./2015-16

11 अप्रैल, 2016

सेवा में
श्री रवीन्द्र नाथ गुप्त
अवर सचिव/लोक सूचना अधिकारी
मंत्रीमंडल विभाग बिहार सरकार,
पुराना सचिवालय, पटना (बिहार)।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु महोदय,

डा. धैर्यनाथ चौधरी, सहायक प्राचार्य (अंग्रेजी) विद्यानन्द मिथिला संस्कृत महाविद्यालय, संकट मोचनधाम हराही पश्चिम, दरभंगा (बिहार) का 09.04.2016 का पत्र 11.04.2016 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने पांच-पांच रूपये के चार पो.आ. संख्या 71C 390210, 71C 390211, 71C 390212 व 71C 390213 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 30.12.2015 को इस सचिवालय में भेजे गए आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है। जोकि मुख्य सचिव, बिहार के ध्यानाकर्षण हेतु 26.02.2016 को अग्रसारित किया गया (प्रति संलग्न) था। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु बिहार सरकार से संबंधित है अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्तक्षारी को सूचित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

डा. धैर्यनाथ चौधरी, सहायक प्राचार्य (अंग्रेजी) विद्यानन्द मिथिला संस्कृत महाविद्यालय, संकट मोचनधाम हराही पश्चिम, दरभंगा (बिहार) - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

Xbram Singh
16/4/16

प्रेषक—डा० धैर्यनाथ चौधरी

सहायक प्राचार्य (अंग्रेजी)

विद्यानन्द मिथिला संस्कृत महाविद्यालय,

संकटमोचनधाम, हराही पश्चिम,

दरभंगा (बिहार)।



प्रेषित—श्रीमान् लोक सूचना पदाधिकारी महोदय, महामहिम उप-राष्ट्रपति
महोदय कार्यालय/सचिवालय नई दिल्ली।

विषय—सूचना के अधिकार विनयमावली के तहत सूचना प्रदान करने के संबंध
में।

महाशय,

1) उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सविनय सूचित करते हुए कहना है कि मैंने
दिनांक 30.12.2015 को एक आवेदन शपथ-पत्र के साथ महामहिम कुलाधिपति
महोदय, राजभवन, पटना (बिहार) को प्रदान किया था जिसकी प्रतिलिपि
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय को भी दी थी।
द्रष्टव्य 30.12.15 दिवसीय आवेदन की छाया प्रति डाक विभागीय रसीद की
छायाप्रति सहित संलग्न अनु०-1

2) ज्ञातव्य हो कि एक दूसरा आवेदन थानाध्यक्ष, ल० ना० मि० वि० वि०,
थाना प्रांगण दरभंगा (बिहार) को दिनांक 20.02.2016 को मैंने पुनः प्रदान किया
था जिसकी भी प्रतिलिपि महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ मैंने दी थी।

द्रष्टव्य 20.02.2016 दिवसीय आवेदन की छायाप्रति डाक विभागीय रसीद
की छाया प्रति सहित संलग्न अनु०-2

अतः सादर निवेदन है कि क्रमांक 1 एवं 2 में वर्णित मेरे द्वारा प्रदत्त
30.12.2015 एवं 20.02.2016 दिवसीय दोनों आवेदनों के आलोक में भवदीय
विभाग/सचिवालय या महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय के स्तर से की गई
कार्यवाही की सूचना प्रदान करने की कृपा करना चाहेंगे। एतदर्थ मैं बीस (20)
रुपये का पोस्टल ऑर्डर के साथ Self Addressed Envelope with postal Stamp
भी प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

भवदीय

Postal order No -

71C390210

71C390211

71C390212

71C390213

Dhairymat Choudhary

(डा० धैर्यनाथ चौधरी) 9.4.2016

सहायक प्राचार्य (अंग्रेजी)

विद्यानन्द मिथिला संस्कृत महाविद्यालय,

संकटमोचनधाम, हराही पश्चिम,

दरभंगा (बिहार)।

संज्ञा में

महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय,
राजभवन, पटना।

विषय-

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति डा० देवनारायण झा के द्वारा नियम, परिनियम, अधिनियम, राज्यादेश एवं न्यायादेश के विपरीत की जा रही प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं को His Highness के समक्ष मेरे द्वारा उजागर करने के कारण हतप्रम, हताश एवं असंतुलित होकर असामाजिक, अपराधी तत्वों, गुण्डों एवं मावाली के संरक्षक एवं सरगना कुलपति डा० देवनारायण झा द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत भू-सम्पदा पदाधिकारी श्री उमेश झा एवं विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों (संख्या करीब 10) से मेरे उपर दिनांक 17.12.2015 को विश्वविद्यालयीय कर्मचारी, श्री सुनील सिंह के आवासीय परिसर में कातिलाना हमला करवाये जाने के साथ-साथ मेरे उपर झूठा मुकदमा दायर करवाये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र के साथ अपील

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सविनय सूचित करते हुए His Excellency का ध्यान में निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ-

1. का० सि० द० सं० वि० वि०, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों में 9 (नौ) प्रधानाचार्यों के वर्ष 2010 में स्थानान्तरण के प्रकरण में एक प्रधानाचार्य श्री हरिनारायण ठाकुर (पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य विधानंद मिथिला संस्कृत महाविद्यालय, संकट मोचनधाम, दरभंगा) के द्वारा उमेश संस्कृत महाविद्यालय, तरौनी से स्थानान्तरित महाविद्यालय रामाधीन मिश्र भास्करोदय संस्कृत महाविद्यालय, देवढ़िया में नहीं योगदान करने के कारण उनके निलंबन वापसी तत्पश्चात् बिना न्यायादेश के गैर कानूनी ढंग से निलंबन वापसी एवं बिना कार्य किए हुए अवधि (26.11.2010 से 31.10.2013 तक) के No work no pay के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भुगतान किए जाने की संभावना से महामहिम को अवगत करते हुए मैंने lastly 07.11.2013 को अपील महामहिम के समक्ष किया था।

द्रष्टव्य महामहिम का प्रदत्त 07.11.2013 दिवसीय आवेदन की छायाप्रति संलग्न-अनुलग्नक-1

2. मेरे 7.11.2013 दिवसीय महामहिम महोदय को प्रदत्त आवेदन के आलोक में राजभवन के पत्रांक एस०यू० 24/2013-162/रा०स०(1) के द्वारा दिनांक 22.01.2014 को विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित पत्र के आलोक में कुलसचिव, का० सि० द० सं० वि० वि०, दरभंगा द्वारा मेरे 07.11.2013 दिवसीय आरोप पत्र के आलोक में प्रेषित 17.02.2014 दिवसीय प्रतिवेदन से राजभवन, पटना सचिवालय, संतुष्ट नहीं होने पर राजभवन, पटना सचिवालय द्वारा भी श्री हरिनारायण ठाकुर को दो बार स्पष्टीकरण सचिवालय के पत्रांक एस०यू०-24/2013-1318/रा०स० (1) दिनांक 01.09.2014 एवं पत्रांक एस०यू०-24/2013-1517/रा०स० (1), दिनांक 13.11.2014 से पूछा गया।

द्रष्टव्य 13.11.2014 दिवसीय राजभवन का पत्र जिसमें उल्लेख है दिनांक 01.09.2014 दिवसीय पत्र की छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-2